रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1267] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2011/आषाढ़ 15, 1933
No. 1267] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2011/ASADHA 15, 1933

पोत परिवहन मंत्रालय

(नौवहन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2011

का.आ. 1536(अ).—2011 का डब्ल्यू.पी. सं. 203-अण्डमान और निकोबार सीमेन यूनियन और अन्य बनाम उप-राज्यपाल और अन्य, माननीय उच्च न्यायालय, सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार पठित मरचेन्ट शिपिंग अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 150 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा न्यायाधिकरण के लिए इंटर आईलेंड सेक्टर के कूज़ सदस्य और नौवहन सेवाएं निदेशालय, अण्डमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लैयर के मध्य 2006-2012 अवधि के लिए रसद जुटाना भत्ता पर विवाद को संदर्भित करते हुए श्री पी. सी. परीदा, उप-अध्यक्ष, चेन्नई पत्तन न्यास के अन्तर्गत एक व्यक्ति न्यायाधिकरण का गठन करती है।

2. यह न्यायाधिकरण नौवहन महानिदेशालय, मुम्बई के कूज़ बेंच द्वारा सेवित किया जाएगा।

3. यह न्यायाधिकरण शीघ्र संदर्भ का निपटारा करेगी और जल्द से जल्द करणीय कार्यवाही के निष्कर्ष पर, केन्द्रीय सरकार को अपना निर्णय प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. एसएस-14017/1/2009-एसवाई. II]

राजीव गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(SHIPPING WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2011

S.O. 1536(E).—In exercise of the powers conferred by Section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read in accordance with the Judgement passed by Hon'ble High Court, Circuit Bench at Port Blair in W.P. No. 203 of 2011—Andaman and Nicobar Seamen Union and others Vs. Lt. Governor and others, the Central Government hereby constitutes a One Person Tribunal under Shri P.C. Parida, Deputy Chairman, Chennai Port Trust, Chennai for referring the dispute over the victualling allowances for the period 2006-2012 between crew members of Inter Island Sector and Director of Shipping Services, Andaman and Nicobar Administration, Port Blair to the tribunal.

2. The tribunal will be serviced by the Crew Bench of Directorate General of Shipping, Mumbai.

3. The tribunal shall dispose of the reference expeditiously and shall, as soon as practicable on the conclusion of the proceedings, submit its award to the Central Government.

[F. No. SS-14017/1/2009-SY. II]

RAJEEV GUPTA, Jt. Secy.

2505 GI/2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.